



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1124 वर्ष 2026

राम बहादुर एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सुरेन्द्र पाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कुलदीप जोहरी, शेर बहादुर सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को अनुमति दी जाती है कि वे दिन के दौरान पुनरीक्षण में पक्षकार बनाए गए समस्त व्यक्तियों को वर्तमान रिट याचिका में पक्षकारों के रूप में सम्मिलित कर लें।
2. याचिकाकर्ता संख्या-3, जो स्वयं इस न्यायालय के अधिवक्ता हैं तथा याचिकाकर्ता संख्या-1 एवं 2 की ओर से भी उपस्थित हैं, को सुना गया। राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता, प्रत्यर्थी-भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री शेर बहादुर सिंह तथा प्रत्यर्थी-नगर पालिका परिषद के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीप जोहरी को सुना गया।
3. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रतिकार हेतु प्रस्तुत की गई है:-

“1. उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा अभिलेख मंगवाते हुए प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा प्रकरण संख्या पुनरीक्षण/4000/2024, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या ए.एल.20241256004000 (सुरेन्द्र पाल एवं अन्य बनाम राम बहादुर एवं अन्य) अंतर्गत धारा 333, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.02.2026 (याचिका के परिशिष्ट संख्या-1) को निरस्त किया जाए।”
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी/176 के अंतर्गत दाखिल वाद विचारण न्यायालय द्वारा मुद्दे विरचित कर पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए आंशिक रूप से निर्णय द्वारा डिक्रीत किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मुद्दा संख्या 1 एवं 4 पर विचारण न्यायालय द्वारा यह तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि विवादित गाटा का पट्टा वर्ष 1964 में रघुवर दयाल के पक्ष में निष्पादित हुआ था तथा वादी-रघुवर दयाल उक्त पट्टा के निष्पादन की तिथि से ही उक्त भूमि पर कब्जे में हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि तीन गाटों के संबंध में राहत मांगी गई थी, किन्तु वाद को केवल एक गाटे के संबंध में ही डिक्रीत किया गया, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया, जिसमें मामले को इस आधार पर विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया कि तीनों गाटों के संबंध में वादी के मामले पर विचार किया जाए, क्योंकि राज्य अथवा ग्राम सभा द्वारा पट्टा निरस्तीकरण की कोई विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण में पारित प्रत्यावर्तन आदेश के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद को तीनों गाटों के संबंध में भी मनमाने ढंग से निरस्त कर दिया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रघुवर दयाल के निधन के पश्चात याचिकाकर्तागण सहित अन्य द्वारा दाखिल पुनरीक्षण को ग्रहण कर लिया गया है तथा वह लंबित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन में राजस्व परिषद द्वारा स्थगन आवेदन निरस्त कर दिया गया है, अतः उन्होंने प्रार्थना की कि राजस्व परिषद के समक्ष लंबित पुनरीक्षण के दौरान अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए।

5. राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, नगर पालिका परिषद के विद्वान अधिवक्ता तथा भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि राजस्व परिषद के समक्ष लंबित पुनरीक्षण में अंतरिम राहत के प्रार्थना-पत्र को निरस्त किए जाने वाले आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि लंबित पुनरीक्षण का यथाशीघ्र विधि अनुसार निस्तारण किए जाने हेतु उपयुक्त निर्देश पारित किया जा सकता है।

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, नगर पालिका परिषद के विद्वान अधिवक्ता एवं भूमि प्रबंधन समिति के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है तथा उसमें अंतरिम राहत का प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया है।
8. यह उल्लेखनीय है कि रघुवर दयाल द्वारा दाखिल वाद एक समय पर इस तथ्यात्मक निष्कर्ष को दर्ज करते हुए डिक्रीत किया गया था कि विवादित गाटा के संबंध में वर्ष 1964 में उनके पक्ष में पट्टा निष्पादित हुआ था तथा वे तभी से उस पर काबिज हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि रघुवर दयाल द्वारा स्वयं दाखिल अपील में पारित प्रत्यावर्तन आदेश के पश्चात, जिसमें वादपत्र में मांगी गई राहत के अनुसार तीनों गाटों के संबंध में विचार करने हेतु प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया था, विचारण न्यायालय द्वारा वाद को तीनों गाटों के संबंध में निरस्त कर दिया गया है।
9. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायहित की अपेक्षा है कि लंबित पुनरीक्षण का निस्तारण राजस्व परिषद द्वारा विधि अनुसार किया जाए तथा राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा अंतिम निर्णय होने तक पक्षकारों द्वारा विवादित गाटे की प्रकृति एवं कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए।
10. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा याचिकाकर्तागण सहित अन्य द्वारा दाखिल पुनरीक्षण संख्या पुनरीक्षण/4000/2024, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या ए.एल.20241256004000 (सुरेन्द्र पाल एवं अन्य बनाम राम बहादुर एवं अन्य), जो कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 333 के अंतर्गत विचाराधीन है, का निस्तारण यथाशीघ्र, यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह के अन्तर्गत किया जाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि जब तक राजस्व परिषद के समक्ष उक्त पुनरीक्षण लंबित है, तब तक विवादित गाटा की प्रकृति एवं कब्जे के संबंध में पक्षकारगण द्वारा यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

18 मार्च, 2026

रमीज़

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।